कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती।

पत्रांक: 385 / नि0अनु0 / जि0पं0 / 2020–21

दिनांक : 30 जनवरी, 2021

ई–निविदा सूचना

जिला पंचायत श्रावस्ती लोक निर्माण विभाग अथवा सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि पंचम राज्य वित्त आयोग एवं पन्द्रहवॉ वित्त आयोग की धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित कार्यों के निर्माण हेतु ऑनलाइन ई–निविदाएँ दिनांकः 07.01.2021 सायं 5:00 बजे तक https://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की गयीं थीं। अपलोडेड निविदाओं में कतिपय कार्यों (कमांक 1 से 5 तक) की टेक्निकल बिड अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण पाये जाने की दशा में उक्त कार्यों की पुनः निविदा एवं नवीन परियोजनाओं की ऑनलाइन ई–निविदा https://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता दिनांकः 05.02.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांकः 21.02.2021 को सायं 5:00 बजे तक ई–निविदा अपलोड कर सकते हैं। अपलोड की गयी ई–निविदा के समस्त अभिलेख पत्र रूप में दिनांकः 22.02.2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अपलोडेड ई–निविदाएँ उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से निविदा समिति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में खोली जायेंगी। कार्य की निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में डाकघर की एन0एस0सी0 / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रावस्ती के पदनाम से बन्धक हो, लगाई जाएगी। निविदा सम्बन्धी नियम, शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती, जनपदीय एन0आई0सी0 के पोर्टल www.shravasti.nic.in अथवा उपरोक्त वेबसाइट पर की जा सकती है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

क0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	माप (लम्बाई किमी0 में / संख्या अदद में)	कार्य की लागत जी0एस0टी0 सहित (लाख रूपये में)	जमानत धनराशि (रूपये में)	जी0एस0 टी0 सहित निविदा मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जमुनहा	कैराती पुरवा	वि0ख0 जमुनहा में मजरा कैराती पुरवा से रामपुर पक्की रोड तक लेपन कार्य।	0.554	33.02	330200.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
2	गिलौला	नेवरिया	वि0ख0 गिलौला के ग्रा0पं0 नेवरिया में पी0डब्लू0डी0 मार्ग के आगे से खेमदास कुट्टी होते हुए नेवरिया गॉव तक लेपन कार्य।	0.590	34.92	349200.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
3	इकौना	लालपुर खदरा	वि0ख0 इकौना में कैलाशपुर लालपुर खदरा सं0मार्ग पर बलुहा मोड़ से दक्षिण चौकीदार पुरवा तक लेपन कार्य।	0.600	48.18	481800.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
4	सिरसिया	सर्राबोझी	वि0ख0 सिरसिया के ग्राम पंचायत सर्राबोझी के मजरा अंतरपरी में डगमरा पेंटिग रोड से जगदम्बा के खेत तक लेपन कार्य।	0.315	25.32	253200.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
5	सिरसिया	शाहपुर बरगदवा	वि0ख0 सिरसिया के ग्रा0पं0 शाहपुर बरगदवा के गुलरा पड़वलिया पक्की रोड से घोलिया पी0डब्लू0डी0 सं0मार्ग तक लेपन कार्य।	0.310	18.98	189800.00	2360.00	31 मार्च 2021 तक
6	जमुनहा	रामपुर बगिया	वि0ख0 जमुनहा में लक्ष्मनपुर पक्की सड़क से रामपुर बगिया होते हुए फकीर चक सं0मार्ग तक लेपन कार्य।	1.238	38.80	388000.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
7	इकौना	बिशुनापुर	वि0ख0 इकौना में बिशुनापुर में कटरा बीरपुर सं0मार्ग से बीरपुर बरगदही गॉव तक लेपन / अनुरक्षण कार्य।	0.850	25.85	258500.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक

8	इकौना	पूरे मंशाराम	वि0ख0 इकौना में बीरपुर चौराहा से पूरे मंशाराम तक लेपन/अनुरक्षण कार्य।	0.800	24.49	244900.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
9	सिरसिया	गढ़ी	वि0ख0 सिरसिया में ग्रा0पं0 गढ़ी चौराहे से बलरामपुर जिला बार्डर तक लेपन कार्य।	0.690	40.24	402400.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
10	जमुनहा	रमवापुर	वि0ख0 जमुनहा में बहराइच–जमुनहा मार्ग से रामवापुर प्रधानमंत्री रोड तक लेपन कार्य।	0.686	41.69	416900.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
11	जमुनहा	सिटकहना	वि0ख0 जमुनहा के ग्राम पंचायत सिटकहना में पक्की सड़क से उत्तर पुरवा होते हुए पक्की सड़क तक लेपन कार्य।	0.592	33.26	332600.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
12	हरिहरपुर रानी	किशुनपुर चोरवाभारी	वि0ख0 हरिहरपुर रानी में सेमरी चकपिहानी–सेमरी तरहर मार्ग से भलुहिया गॉव तक अवशेष लेपन कार्य।	0.840	69.50	695000.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक
13	हरिहरपुर रानी	रामपुर जब्दी	वि0ख0 हरिहरपुर रानी के अन्तर्गत ग्रा0पं0 रामपुर जब्दी में पक्की सड़क बंजारे के घर से जंगल बार्डर तक लेपन कार्य।	0.815	48.80	488000.00	3540.00	31 मार्च 2021 तक

आवश्यक नियम व शर्तें :–

1. निविदा ई–टेण्डरिंग प्रणाली से कय किए जाते समय टेण्डर शुल्क सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–भिनगा, जनपद श्रावस्ती में स्थित जिलानिधि खाता सं0–3186658885 एफ0आई0सी0 कोड– CBIN0284270 में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत श्रावस्ती के नाम जमा कर उसकी स्कैन कॉपी ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा ऑनलाइन भरते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति के 6 माह तक निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगा रहने की जिम्मेदारी पंजीकृत टेकेदार की होगी, ऐसा न करने पर पंजीकृत ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाएगा।
3. दिनाक: 22.02.2021 को अपरान्ह 02:00 बजे तक निविदा मूल्य की प्रति एवं जमानत धनराशि व अन्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र मूल रूप से कार्यालय में दिये गये समय के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. एकल एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात् कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जाएगी।
6. समयवृद्धि मॉगे जाने का वहीं पंजीकृत ठेकेदार हकदार होगा, जिसे कतिपय कठिनाई है और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत् पूर्ण कर दिया है, अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थदण्ड के भागीदार होंगे।
7. कार्य प्रारम्भ की तिथि से एक सप्ताह में श्रम विभाग से श्रमिकों का पंजीकरण कराना तथा साइट का पंजीकरण अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में आपकी जमानत धनराशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
8. उपरोक्त कार्यों का स्थल सत्यापन कर प्राक्कलन एक माह पूर्व बनाया गया था, जो वर्तमान कार्यस्थल के अनुसार किया जाएगा।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल की फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है।
10. अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों से न्यूनतम निविदा प्राप्त होने की दशा में कार्यालय जिला पंचायत श्रावस्ती में एक सप्ताह के अन्दर शासनादेश सं0–05/2019/2902/3–2–2019–198जी0/2018 दिनांक: 16 अगस्त 2019 के कम में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराते हुए शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा करते हुए ही अनुबन्ध गठित किया जाएगा। शासनादेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
11. उपरोक्त परियोजनाओं परियोजनाओं को पेवर मशीन द्वारा हॉट मिक्स प्लान्ट से कराया जाना अनिवार्य होगा।
12. ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदा दाता/फर्म को स्वयं अथवा किराये पर आवश्यक मशीनरी तथा पेवर मशीन हॉट मिक्स प्लान्ट से सम्बन्धित नियमानुसार आवश्यक अभिलेख/शपथ पत्र टेक्निकल बिड के साथ संलग्न कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
13. भूतत्व खनिकर्म विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
14. हॉटमिक्स प्लान्ट से रजिस्टर्ड अनुबन्ध/इकरारनामा हो तथा 5 वर्ष के अन्दर का हॉटमिक्स प्लान्ट से निर्माण कार्य कराने का अनुभव निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव के अभाव में निविदा स्वतः अमान्य हो जाएगी।
15. सम्पर्क मार्गों हेतु डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरिएड 2 वर्ष का होगा।
16. निविदा में प्रतिभाग करते समय सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र वैध होना आवश्यक होगा।
17. निविदादाता द्वारा परियोजना स्थल से 50 किमी0 की परिधि में स्थापित हॉट मिक्स प्लान्ट से ही लेपन सामग्री की आपूर्ति ली/की जाएगी।

18. ठेका स्वीकृत की सूचना उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा जमानत जब्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
19. निविदा सूचना में अंकित कोई परियोजना यदि किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व निर्मित, प्रस्तावित अथवा स्वीकृत पायी जाती है, तो वह तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
20. कमांक 06 से 13 पर उल्लिखित परियोजनाओं पर धन उपलब्धता के आधार पर कृत कार्य के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
21. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।

30/01/2021

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, श्रावस्ती।
30/1/2021